



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2000/श्रावण 26, 1922

No. 540]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2000/SRAVANA 26, 1922

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2000

का.आ. 754 (अ).—केन्द्रीय सरकार माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 44 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि व्यक्तिकारी उपबंध कर दिए गए हैं, घोषणा करती है कि मलेशिया ऐसा राज्यक्षेत्र होगा, जिसे उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में उपवर्णित विदेशी माध्यस्थम् पंचाटों की मान्यता और प्रवर्तन संबंधी अभिसमय 18 मई, 2000 को या उसके पश्चात् किए गए उस धारा में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी पंचाट के प्रयोजन के लिए लागू होता है।

[फा. सं. 10/5/99-वि०-III]

के. एन. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2000

S.O. 754(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 44 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996), the Central Government, being satisfied that reciprocal provisions have been made, hereby declares Malaysia to be a territory to which the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, set forth in the First Schedule to the said Act, applies for the purpose of any award of the nature referred to in that section made on or after the 18th day of May, 2000.

[F. No. 10/5/99-Leg. III]

K. N. CHATURVEDI, Jt. Secy. and Legislative Counsel

2250 GI/2000